

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित

1-टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)

2-पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-332/2023, दिनांक:-12.12.2023

गिरीश चन्द्र

पुत्र स्व० देवीराम

ग्राम-मेलाडोल मज्यूली

पहाड़पानी

जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसका विद्युत संयोजन संख्या-5920008078797 है जो उसके स्वर्गीय पिता देवीराम जी के नाम पर तत्समय में कुटीर ज्योति के नाम से है। अब पिता की मृत्यु के बाद उपभोक्ता के रूप में वह विद्युत उपभोग करता है तथा नियमित विभागीय बिल के अनुसार बिल जमा करता है। इसी क्रम में विद्युत वितरण उपखंड भीमताल के द्वारा जारी बिल माह 19.04.2023 से 27.06.2023 तक की बिल धनराशि ₹ 236.00 भुगतान की थी तथा नियमित रीडिंग के अनुसार बिल जमा करता आया है। पिछली रीडिंग 4337 थी लेकिन सितम्बर 2023 का बिल अकस्मात ₹ 13338.00 तथा रीडिंग 6403 दिखायी है। वह अत्यंत गरीब व्यक्ति है केवल एक रौंड व दो बल्ब जलता है वह भी केवल 2 घंटे लगभग साय। इतना बिल आना तो असंभव है लेकिन फिर भी बिल प्राप्त हुआ है जिसकी तिथि आज 26.10.2023 है। उसके घर में उसके चचेरे भाई का निधन होने के कारण विलम्ब से उपभोक्ता फोरम के समक्ष उपस्थित हुआ है। अतः उसकी प्रार्थना पर विचार कर







क्रमशः

उसे राहत देने तथा त्रुटिपूर्ण बिल रद्द करते हुए उचित भुगतान धनराशि भुगतान करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

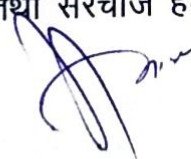
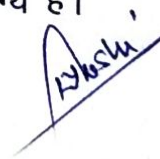
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.11.2023 में कहा गया है कि उपभोक्ता के मीटर की एस0बी0एम0 द्वारा बिलिंग के उपरांत नई बिलिंग कार्यदायी संस्था मै0 टी0डी0एस0 द्वारा माह 09/2023 में प्रथम बार प्रारम्भ की गयी जिसके उपरान्त विद्युत मापक में 6403 KWH रीडिंग पाई गयी। उक्त रीडिंग के आधार पर ही कार्यदायी संस्था मै0 टी0डी0एस0 द्वारा ₹ 13338.00 मात्र का बिल उपभोक्ता को निर्गत किया गया। उपभोक्ता के मापक की सम्पूर्ण रीडिंग को विगत माहों में समायोजित करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परंतु वर्तमान माह 11/2023 का बिल सिस्टम में ऑनलाईन तकनीकी खराबी होने के कारण रीडिंग के समायोजन का कार्य नहीं हो पाया है। रीडिंग के समायोजन किये जाने हेतु कई बार प्रयास किये गये परंतु ऑनलाईन तकनीकी खराबी के कारण बिल संशोधन का कार्य लम्बित है जिसमें समय लग सकता है। अतः माननीय फोरम से अनुरोध है कि उक्त शिकायत का समाधान करने हेतु अतिरिक्त 10 दिवस का समय प्रदान करने की कृपा करें।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 16.11.2023 में कहा गया है कि उपभोक्ता के मापक की नई कार्यदायी संस्था मै0 टी0डी0एस0 के कर्मचारी द्वारा माह 09/2023 में प्रथम बार एस0बी0एम0 मशीन द्वारा बिलिंग की गयी। जिसमें उपभोक्ता के मापक में 6403 kwh रीडिंग पायी गई। उक्त रीडिंग के आधार पर ही ₹ 13338.00 का बिल निर्गत किया गया था। उपभोक्ता के मापक की सम्पूर्ण एक मुस्त रीडिंग को विगत माह में समायोजन कर दिया गया है, जिसके उपरान्त उपभोक्ता के विद्युत बिल में दि0 16.11.2023 को ₹ 3986.99 का संशोधन कर दिया गया है। संशोधन करने के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹ 9351.00 का बनाया गया है जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाना है।
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 24.11.2023 में कहा गया है कि फोरम के पत्र के आधार पर वांछित संशोधन ₹ 3986.99 कर दिया गया है उनके द्वारा उपभोक्ता लेजर प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त संबंध में पूर्व में ही उसने निवेदन किया है कि विभाग द्वारा रीडिंग के उपरांत बिल प्रेषित कर उक्त तिथि तक भेजे गए तथा नियमित रूप से भुगतान करते रहा हूं उसके ऊपर कोई अवशेष नहीं है। अकस्मात् सितम्बर 2023 का बिल 6403 रीडिंग दिखाकर ₹ 13338.00 का बिल भेजा गया, जब कि जून 2023 में रीडिंग 4337 दिखाई गई तदनुसार ₹ 236.00 का बिल जमा कर दिया गया था। महोदय वह एक रौड व दो एल.ई.डी. बल्ब साइकिल 2 घंटे जलाता है। उसके पास ऐसा उद्योग धंधा नहीं जिससे बिजली चोरी कर चलाएं। वह बी.पी.एल. श्रेणी का उपभोक्ता हूं तथा मेहनत मजदूरी से अपना परिवार का पालन पोषण करता है। हजारों की धनराशि का बिल जो किसी तरह जायज नहीं है भेजा गया वह अत्यधिक मानसिक आघात में जी रहा है। यदि मेरी स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया तो कुछ भी बुरा उसके व उसके परिवार के साथ हो सकता है। 26 दिसम्बर 2004 से





यह संयोजन उसके परिवार को मिला है ईमानदारी से नियमित बिल भुगतान करते रहे हैं। वह विभाग की मीटर रीडिंग तत्संबंधी शब्दावली व विभाग के निर्णय से सहमत नहीं है। मीटर संबंधी किसी त्रुटि के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। ₹ 200.00 से ₹ 300.00 से अधिक बिल जमा करने की उसकी क्षमता नहीं है। विभाग समायोजन शब्द व धनराशि का उल्लेख कर उसकी स्थिति एवं सच्चाई से हटकर केवल भ्रम पैदा कर रहा है केवल भटकाने का प्रयास कर रहा है। अतः न्यायाधीश/प्रमुख महोदय से निवेदन है कि उसके प्रार्थना पत्र है एवं उसकी वास्तविक स्थिति तथा सिस्टम की लापरवाही पर गहराई एवं सहानुभूति पूर्वक विचार कर उसे बी.पी.एल./निर्धन हरिजन मजदूर उपभोक्ता पर कृपा करते हुए विभाग बिल/रीडिंग को रद्द करने की कृपा करेंगे तथा पूर्व की तरह न्यूनतम भुगतान राशि का बिल भेजने संबंधी प्रस्ताव/निर्णय पारित कर उसे राहत देने की कृपा करेंगे। वह तथा उसका परिवार उपभोक्ता फोरम व शासन का ऋणी रहेगा।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 25.11.2023 में कहा गया है कि उपभोक्ता के मापक की सम्पूर्ण एक मुस्त रीडिंग को विगत माह में समायोजन कर दिया गया था, जिसके उपरान्त उपभोक्ता के विद्युत बिल में दि० 16.11.2023 को ₹ 3986.99 का संशोधन कर दिया गया था। संशोधन करने के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹ 9351.00 का बनाया गया है जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाना है। उक्त के क्रम में माननीय फोरम द्वारा चाही गयी उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री अवलोकन हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
6. मंच में सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 12.12.2023 को पक्षकार सुनवाई हेतु उपस्थित हुये। मंच द्वारा दोनों पक्षों के तर्क सुने गये। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 26.09.2023 को मीटर रीडिंग 6403 दर्शायी गयी, जबकि उससे पूर्व दिनांक 27.06.2023 को मीटर रीडिंग 4337 थी। सुनवाई के समय परिवादी द्वारा बताया गया कि मीटर रीडर पूर्व में रीडिंग लेने नहीं आता था। अर्थात् मीटर रीडर परिवादी की मनमाने ढंग से रीडिंग भरकर बिल निर्गत कर रहा था। सितम्बर 2023 में वास्तविक मीटर रीडिंग दर्ज होने से परिवादी पर एकमुश्त बिल का भार पड़ा है तथा उसे ₹13338.00 रुपए का बिल जारी किया गया। मंच के निर्देश पर विपक्षी द्वारा एक मुश्त रीडिंग को पूर्व के महीनों में विभाजित करते हुए बिल संशोधित किया गया जिसमें ₹ 3986.99 का समायोजन प्रदान करते हुए ₹ 9351.00 रुपए का बिल जारी किया गया। परिवादी के परिसर पर वर्तमान में वही मीटर स्थापित है तथा मीटर सही कार्य कर रहा है। अतः 6403 रीडिंग तक की गई खपत परिवादी की वास्तविक खपत है। इस रीडिंग तक का बिल विपक्षी द्वारा संशोधित किया जा चुका है जो मंच के मत में सही है। परन्तु विपक्षी ने बिल संशोधन में ₹ 1084.92 का सरचार्ज परिवादी पर आरोपित किया है जो न्यायोचित नहीं है तथा सरचार्ज हटाए जाने योग्य है।

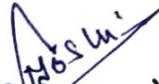
आदेश

परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के संशोधित बीजक में आरोपित की गई LPS की राशि को हटाते हुए बिल जारी करें। विपक्षी इस आदेश/निर्णय की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-12/12/2023


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(पी सी प्राण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)


(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:-12/12/2023


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(पी सी प्राण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)


(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचउत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०हल्द्वानीजिला-नैनीताल

उपस्थित

1-टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)

2-पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-336 / 2023, दिनांक:-12.12.2023

निशान्त राणा

परिवादी

मकान नं०-2-102/5

शिव विहार, नैनीताल रोड,

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल।

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड(नगर)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसका 05 कि०वा० का घरेलू विद्युत संयोजन संख्या-387एन412113303 उसके आवासीय परिसर पर लगा हुआ है। उसको माह 10/2023 का बिल दिनांक 23.09.2023 से दिनांक 20.10.2023 तक का 1066 यूनिट का 27 दिनों का प्रेषित किया गया जो कि प्रतिदिन 39.48 यूनिट के हिसाब से है। वर्ष 2011 से उसका मीटर लगा हुआ है। इतनी रीडिंग जब मई जून में ए०सी० चलते हैं तब भी आज तक नहीं आयी है जो दर्शाता है कि 10/23 में मीटर की रीडिंग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है तथा मीटर जम्प कर गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए उसके बिल को पिछले वर्षों की रीडिंग के अनुसार संशोधित करवाने की कृपा करें।
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1224 दिनांक 09.11.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि उपभोक्ता श्री निशान्त राणा, मकान नम्बर 2-102/5, शिव विहार, नैनीताल रोड हल्द्वानी, जिला-नैनीताल विद्युत संयोजन संख्या 387एन412113303 का विद्युत बिल मापक में प्रदर्शित मापक पाठ्यांक के आधार पर निर्गत किया गया है, जो कि पूर्णतः सही है। मापक

क्रमशः

का पाठयांक मै० टी०डी०एस० कन्सल्टेन्ट प्रा० लि० के प्रतिनिधि श्री गौरव कुमार से सत्यापित भी करवाया गया है। इसके अतिरिक्त यदि शिकायतकर्ता को मापक तेज होने के सन्दर्भ में संशय हो तो वह विभागीय नियमानुसार मापक की जाँच करवाने हेतु चैक मापक लगाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। चैक मापक हेतु निर्धारित शुल्क ₹ 118.00 जमा करने के उपरान्त मापक की जाँच की जाएगी। मापक के तेज होने की पुष्टि होने पर ही नियमानुसार आवश्यक बिल संशोधन कर पाना संभव होगा।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 25.11.2023 में कथन किया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है, जिसकी सीलिंग सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न कर प्रेषित है (कागज संख्या-7/2)। उक्त के क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 08.12.2023 को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है, एवं वांछित चैक मापक की फाइनल रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर प्रेषित है (कागज संख्या-9/2)।
4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2023 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से उपस्थित हुये। मंच ने पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी को वास्तविक मीटर रीडिंग के ही बिल प्रेषित किये गये हैं जिनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता तथा वाद खारिज होने योग्य है।

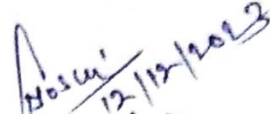
आदेश

परिवाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

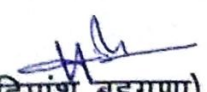
दिनांक:-12/12/2023


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

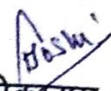

(पी सी पाण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)


(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:-12/12/2023


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(पी सी पाण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)


(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2-पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-337 / 2023, दिनांक:-12.12.2023

कैलाश चन्द्र जोशी
रिटायर्ड खण्ड विकास अधिकारी
आर.टी.ओ. रोड
महालक्ष्मी विहार-04
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसके द्वारा नया विद्युत संयोजन लेने हेतु दिनांक 05.11.2022 को ₹15000.00 मात्र 100 मी० लाइन का जमा किया गया है। जबकि विभाग द्वारा उसके मकान तक 83 मी० विद्युत लाइन दी गई है। विभाग द्वारा मुझे 17 मी० लाइन की धनराशि अधिक जमा करवाई गई है, जो अनुचित है। इस संबंध में उसके द्वारा अधिकासी अभियन्ता, हीरानगर से 09.02.2023 को अवगत कराने पर उनके द्वारा यह कहा जाना कि आपका पत्र उपखण्ड अधिकारी, ट्रांसपोर्ट नगर को प्रेषित कर दिया गया है। लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अनुरोध का निवेदन है कि प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 09.11.2023 में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र के अवर अभियन्ता की आख्यानानुसार मौके पर 93 मी० लाइन बनी है।

क्रमशः

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 20.11.2023 में कहा गया है कि वर्तमान समय में वह पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ से लौटने के उपरान्त दिनांक 04.12.2023 को विभाग द्वारा किए जाने वाले नाप-जोख में उपस्थित रहेगा।
4. विपक्षी द्वारा परिवादी के साथ मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित की गयी। मौके पर 93 मी० विद्युत लाइन पाई गयी।
5. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 05.12.2023 में कहा गया है कि दिनांक 04.12.2023 को विभाग के कर्मचारियों द्वारा विद्युत लाइन की नाप ली गई जो 93 मीटर है। जिससे वह संतुष्ट है। जो उसके द्वारा लिखित भी दिया गया है। इस क्रम में यह भी अवगत कराना महत्वपूर्ण होगा कि उसके द्वारा 100 मी० विद्युत लाइन की धनराशि ₹ 15000.00 जमा किया गया है। पूर्व में विभाग द्वारा 83 मी० लाइन खींची गई थी। इस बिन्दु से विद्युत तार अपने मकान तक लाने पर लाइन तिरछी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के खेत के बीचोंबीच आ रही थी। जो उनके द्वारा मना भी किया गया। 83 मीटर आगे सीधी लाइन खींचने पर 10 मीटर दूरी पर उसका मकान स्थित है। बार-बार विभाग से अनुरोध करने पर इनके द्वारा उसके मकान तक लाइन नहीं डाली गई। फलस्वरूप मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल 1905 में शिकायत पंजीकरण की गयी। तब विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के शिकायती पत्र के सन्दर्भ में शिकायत निस्तारण की अवधि समाप्ति की तिथि के रात 9:30 से 10:00 बजे 83 मीटर से पोल हटाकर 93 मी० उसके मकान के पास लगाया गया। तब यह नाप 93 मी० हुई है। क्योंकि उसके द्वारा शिकायत दिनांक 09.02.2023 को ही अधिशासी अभियन्ता, हीरानगर को की गई थी। इस प्रकार अब विद्युत लाइन 93 मी० मानी जाए। अतः महोदय से अनुरोध है कि 7 मी० लाइन की अधिक जमा की गई धनराशि 150/मी० की दर से ₹1050.00 वापस किए जाने हेतु विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें व वाद को निस्तारित करने की कृपा करें।
6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि परिवादी के विद्युत संयोजन हेतु विपक्षी द्वारा 93 मी० विद्युत लाइन का निर्माण किया गया है तथा इसके लिए परिवादी से 100 मी० का शुल्क चार्ज लिया गया है। विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजन जारी करना एवं संबंधित मामले) विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार ओवरहेड लाइन चार्ज (4 कि०वा०) प्रति दस 10 मी० ₹ 1500.00 शुल्क है। प्रति दस मीटर के हिसाब से ही विपक्षी द्वारा परिवादी से 93 मीटर लाइन निर्माण के लिए 100 मीटर का शुल्क लिया गया है जो नियमानुसार सही है। अतः वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन,

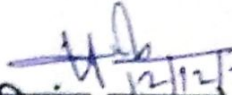




क्रमशः

80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

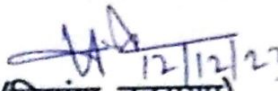
दिनांक:-12/12/2023

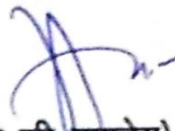

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(पी सी पाण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)


(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:-12/12/2023


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(पी सी पाण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)


(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Kumaou Zone, Haldwani

बनाम

कुंवर सिंह मिश्र

Case No.: 340/2023

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
हल्द्वानी (नगरीय)

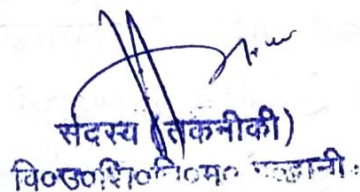
ORDER SHEET

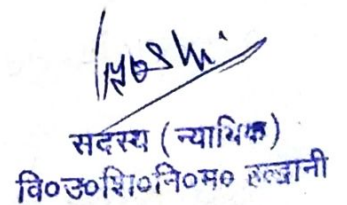
11/12/23 - पत्रावली पुनर्वही हेतु प्रस्तुत हुई। परिवारी द्वारा पत्र प्रेषित कर कहा गया है कि वह विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र से पूर्णतः संतुष्ट है तथा वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये। वह मंच का आभारी है।

प्रस्तुत वाद में परिवारी द्वारा विद्युत बिल राशी 31235/- पर आपत्ति जताने हुए वाद दफ्तर क्रिय गम्य था। बिपसी द्वारा परिवारी का बिल संशोधित करते हुए ₹ 4445.28 का बिल दिया गया। बिपसी की इस कार्यवाही पर संतुष्टि जताने हुए परिवारी द्वारा वाद समाप्त करने का अनुरोध क्रिय गम्य है। इस प्रकार बिपसी द्वारा परिवारी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवारी द्वारा भी संतुष्टि व्यक्त करने के फलस्वरूप वाद निस्तारित क्रिय जाता है। पक्षवार सूचित हो। पत्रावली दायित्व दफ्तर हो।



सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०श०वि०म० हल्द्वानी


सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०श०वि०म० हल्द्वानी


सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०श०वि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Kumaoun Zone, Haldwani

बनाम

अधिकासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)

उपाकालि0, हीरानगर, हल्द्वानी।

रेखा देवी

Case No.:- 342/2023

ORDER SHEET

12.12.2023-पञ्चावली प्रस्तुत। बिपक्षी द्वारा मंच की ओर से डिपेंडेंसी निर्देशों के अंतर्गत 11/12/23 (सुनवाई तिथि को) के अनुसार परिवारी का संशोधित बीजक प्रस्तुत किया गया है। बिल संशोधन के बाद परिवारी पर ₹ 27956.91 रु. का बिल वसूला है। बिल संशोधन गणना शीट के अनुसार फरवरी 2019 से डिसेंबर 2021 तक (विवादित अवधि) ₹ 7812.00 का सरचार्ज लगा है। मंच के मत में परिवारी पर उक्त सरचार्ज आरोपित किया जाना अप्रामाणिक नहीं है तथा सरचार्ज हटाकर संशोधित बिल जारी किया जाना तर्कसंगत होगा जिसे बिपक्षी द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के लिये जमा किया जा सकता है।

आदेश

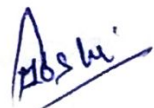
परिवार स्वीकार किया जाता है। बिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवारी के संशोधित बीजक से ₹ 7812.00 का सरचार्ज हटाते हुए पुनः संशोधित बीजक जारी करे। उभयपक्ष अपना वाद व्यक्त करने के लिये परिवार निस्तारित किया जाता है। परस्पर सन्तुष्ट हो, पञ्चावली दायित्व स्वीकार हो।



सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०श्री०वि०म० हल्द्वानी



सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०श्री०वि०म० हल्द्वानी



सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०श्री०वि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,

Case No:-359 /2023

ORDER SHEET

दिनांक- 13 / 02 / 2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 13 / 12 / 2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

वाद पर उपपक्षों की सुनवाई हुई। विद्युत खण्ड में नाम ठीक करवाने हेतु नामले में परिवर्तन कर आवश्यक अभिलेख सुनवाई के समय प्रस्तुत किए गये। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा परिवर्तन के नाम में हेतु अधिन कले डुर JAMIL के स्वाम्य पर JAMIL कर परिवर्तन की शिकायत का मॉडल पर ही समाधान कर दिया गया है। इस प्रकार शिकायत का समाधान हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षों पर दण्डित हो। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

सदस्य (उपमोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

बनाम

निजाउद्दीन पुत्र श्री अंसार हुसैन ।

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि०,
२१/११/२०२३

Case No:- 362/2023

ORDER SHEET

दिनांक- 13/ 02/ 2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 13/12/2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

पक्षों को हुना गया। परिवारी द्वारा बताया गया कि उसका जला मीटर नहीं बदला गया है। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा कहा गया कि परिवारी द्वारा उनसे इस संबंध में शिकायत नहीं की गयी है, विपक्षी द्वारा संबंधित लाइन स्टाफ को हुनाई के हल्फ ही मोफे पर भेजा गया है तथा तत्काल मीटर बदलने का आदेश दिया गया। विपक्षी को अधिसूचित किया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर मीटर बदलकर लीमिंग उभाग पर मंच में प्रस्तुत करें। परिवार तदनुसार निवेदिता। पक्षकार सूचित है। पञ्जाबी दायित्व दफतर है।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

भारती देवी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,

Case No:- 364 /2023

कालाहोरी शिबिर

शमनगर

ORDER SHEET

दिनांक- 13/12/2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 13/12/2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

वाद पर सुनवाई की गयी। भीतर खराब होने लगे थे इस विभाजन पर उपखण्ड इन्फिनेटी द्वारा सुनवाई के दौरान ही लोडिंग स्टॉक को परिवारी के परिवार पर भेजा गया। लोडिंग स्टॉक द्वारा बताया गया कि भीतर की लोडिंग कटी कटी आ रही है जिससे बदला जाय आवश्यक प्रतीत होता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवारी का खराब मापक बदलाव एक सप्ताह के भीतर लोडिंग प्रमाण पत्र मंच में जमा कराये। परिवार तत्तुल्य नितीति। पक्षकार सुनिश्चित हो। पक्षावली दखिल दफ्तार हो।


सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी


सदस्य (विपक्षी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी


सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

बालक सिंह बिष्ट

बनाम

अधिशायी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,

उपाकालि0,

Case No:- 367/2023

कालाद्वेगी शिरिर

शमनगर

ORDER SHEET

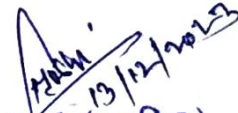
दिनांक-13/12/2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 13/12/2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

वाद पर सुनवाई की गयी। परिवारी द्वारा बताया गया कि गलत मीटर लगाव है। सुनवाई में ही TDS कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता के मीटर में रीडिंग के अंक कटे कटे कम रहे हैं। रीडिंग पूरी नहीं जा रही है अतः मीटर बदल जाना आवश्यक है। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा कल 14/12/2023 तक मीटर बदलने की बात कही गयी। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी को आदेशित किया जा रहा है कि परिवारी का मीटर बदलकर एक सप्ताह के भीतर स्वीलिंग प्रमाण पत्र मंच में प्रस्तुत करें। परिवार तदनुसार निश्चित। पक्षकार सूचित है। पत्रावली दायिका दफतर हो।


सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी


सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी


सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

बनाम

अधिकासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,

Case No:- 369 /2023

ORDER SHEET

दिनांक- 13/ 12/ 2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 13/ 12/ 2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

हुनवारी की म्मी। खराब मीटर तंकेकी क्षमता पर बिपक्षी द्वारा
मोने पर अपने उल्लिखित-आ केजर मीटर की पाल्य की म्मी तथा
खराब मीटर को कल 14/12/2023 को बदलने की बात म्मी।
बिपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवारी का खराब मापक
बदलवा एक सप्ताह के भीतर सीलिंग प्रमाण पत्र मंच में जस्तुत
करे। परिवार तदनुसार गिस्तारित। पक्षपर क्षमिता हो। पत्रावली गिस्तार
दफतर हो।

सदस्य (उपभाक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी